संचिका संख्या–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०....

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

प्रेषक,

राजेश भारती, भा०प्र०से०
श्रमायुक्त, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
जमुई, पटना, लखीसराय एवं समस्तीपुर।

पटना, दिनांक–

विषयः– विमुक्त बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से राशि उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय्

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि दिनांक–12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने बाल श्रम से विमुक्त कराये गये एवं CLTS में दर्ज बाल श्रमिकों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से रू० 25,000 प्रति विमुक्त बाल श्रमिक उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, जिसके आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष से षष्ठम किस्त की राशि प्राप्त हो चुकी है। उक्त राशि प्रत्येक विमुक्त बाल श्रमिक के नाम से उनके 18 वर्ष की उम्र प्राप्त होने तक Fixed Deposit (FD)/Annuity Scheme में निवेशित की जायेगी, जिससे प्राप्त सूद/ब्याज की राशि प्रति माह उनके बैंक खाते में प्राप्त होगी, जिसका वे आवश्यकतानुसार सदुपयोग कर सकेगें। FD की अवधि इस तरह से रखना है कि अधिकतम लाभ मिले एवं 18 वर्ष की उम्र तक Auto renewal होती रहे। 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने के उपरांत पूरी राशि बाल श्रमिक को प्राप्त हो सकेगी।

सम्प्रति कतिपय कारणों से CLTS पोर्टल के क्रियाशील नहीं रहने के कारण विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों का विवरण पोर्टल में अपलोड नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने तक सभी पात्र विमुक्त बाल/किशोर श्रमिकों को जिलाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर रू० 25,000/– के Annuity Scheme का लाभ इस शर्त्त के साथ दिया जाय कि CLTS पोर्टल के क्रियाशील होने पर बाल/किशोर श्रमिकों से संबंधित सभी आवश्यक प्रविष्टियाँ अविलम्ब कर ली जायेगी।

क्र० सं०	जिला	Child ID No.	बाल श्रमिक का नाम	विमुक्ति की तिथि	अभियोजन/ एफ०आई०आर०
1	जमुई	---	CHUNU MURMU	10.02.2026	18/2026
2	पटना	---	AMIT KUMAR	10.06.2025	711/25
3		---	MD ARMAN	07.07.2026	744/26
4		---	RASID	07.07.2026	744/26
5		---	KRISHAN KUMAR	16.02.2026	92/26
6		---	MD AIHSAN	16.04.2026	285/26
7		---	JITENDRA KUMAR	12.02.2026	0141/26
8	लखीसराय	---	नवीन कुमार उर्फ नियोन कुमार	18.09.2026	135/26
9		---	सोनू कुमार	18.09.2026	135/26
10	समस्तीपुर	---	SHIVAM KUMAR	27.08.2025	220/2025
11		---	AMARJIT KUMAR	10.02.2026	33/2026

12	समस्तीपुर	---	INDRAJIT KUMAR	10.02.2026	33/2026
13		---	MD RAIYAN	19.08.2026	133/2026
14		---	MD SHAHANAWAZ	19.08.2026	133/2026

उपर्युक्त विवरणी के आलोक में विमुक्त बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से @25,000/- प्रति बाल श्रमिक के दर से जिलावार निम्न प्रकार से भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

जिला	खाताधारी का पदनाम	खाता संख्या	IFSC कोड	बाल श्रमिकों की संख्या	बाल श्रमिकों की सं० एवं अनुमान्य राशि	राशि रूपये में	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक द्वारा प्रेषित अधियाचना का विवरण
जमुई	जिला पदाधिकारी, जमुई	36577173027	SBIN0000097	01	01@25000	25,000/-	पत्रांक–899, दिनांक–08.10.2026
पटना	जिला पदाधिकारी, पटना	36502035006	SBIN0018815	06	06@25000	1,50,000/-	पत्रांक–5790, दिनांक–13.10.2026
लखीसराय	जिला पदाधिकारी, लखीसराय	36372897690	SBIN0002968	02	02@25000	50,000/-	पत्रांक–907, दिनांक–12.10.2026
समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर	36310325668	SBIN000174	05	05@25000	1,25,000/-	पत्रांक–2171, दिनांक–09.10.2026
कुल					14@25000	3,50,000/– (तीन लाख पचास हजार)	

राशि के उपयोग के उपरांत उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की भी कृपा की जाय। भुगतान करने के पूर्व अच्छी तरह से जाँच कर लिया जाय कि विमुक्त बाल श्रमिकों को पूर्व में राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

विश्वासभाजन
ह०/–
(राजेश भारती)
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं०..... पटना, दिनांक–

प्रतिलिपिः–श्रम अधीक्षक/श्रम अधीक्षक (अधिनियम), जमुई, पटना, लखीसराय एवं समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेश दिया जाता है कि विमुक्त बाल श्रमिकों को यथाशीघ्र राशि उनके खाते में अंतरित कराना सुनिश्चित करें साथ ही इस कार्य में जिलाधिकारी को अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह०/–
श्रमायुक्त, बिहार

ज्ञापांकः–01/C.L.–10–05/2026, श्र०सं..... 6401 पटना, दिनांक– 22/10/26

प्रतिलिपिः–आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

16/10/26
श्रमायुक्त, बिहार